रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/99 REGD. NO. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 815] नई दिल्ली, सोमवार, मार्च 31, 2014/चैत्र 10, 1936
No. 815] NEW DELHI, MONDAY, MARCH 31, 2014/CHAITRA 10, 1936

नागर विमानन मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 27 मार्च, 2014

का.आ. 981(अ).—केन्द्रीय सरकार, भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक के परामर्श के पश्चात् भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण अधिनियम, 1994 (1994 का 55) की धारा 41 के उप-खण्ड (2) के खण्ड (छ) और खण्ड (झ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण (वार्षिक रिपोर्ट तथा वार्षिक लेखा विवरणी) नियम, 2008 को उन बातों के सिवाय अधिक्रांत करते हुए जिन्हें ऐसे अधिक्रमण से पहले किया गया है या करने का लोप किया गया है, निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात् :-

1. संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ - (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण (वार्षिक रिपोर्ट और वार्षिक लेखा विवरणी) नियम, 2014 होगा ।

(2) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होगें ।

2. परिभाषा - इन नियमों में जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो -

(i) "अधिनियम" से भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण अधिनियम, 1994 अभिप्रेत है;

(ii) "वार्षिक रिपोर्ट" से अधिनियम की धारा 29 में उल्लिखित रिपोर्ट अभिप्रेत है ;

(iii) "वार्षिक लेखा विवरणी" से अधिनियम की धारा 28 में उल्लिखित वार्षिक लेखा विवरणी अभिप्रेत है ;

(iv) "प्राधिकरण" से अधिनियम की धारा 3 के अधीन गठित भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण अभिप्रेत है ;

(v) "प्ररूप" से इन नियमों के साथ संलग्न प्ररूप अभिप्रेत है;

(vi) इसमें प्रयुक्त ऐसे शब्दों और अभिव्यक्तियों, जिनकी अधिनियम में परिभाषा नहीं दी गई है, का क्रमश:, वही अर्थ होगा जैसा कि अधिनियम में उन्हें दिया गया है ।

3. **वार्षिक लेखा विवरणी तैयार करना एवं और प्रस्तुत किया जाना** .- (1) प्राधिकरण, प्ररूप I और प्ररूप II में यथा विनिर्दिष्ट प्रत्येक वर्ष 30 जून तक प्राधिकृत हस्ताक्षरी द्वारा अधिप्रमाणित और प्राधिकरण द्वारा सम्यक रूप से पारित क्रमश: लाभ और हानि लेखे तथा तुलन पत्र के साथ अपनी वार्षिक लेखा विवरणी तैयार करेगा और उसे प्रत्येक वर्ष 31 जुलाई से पूर्व भारत के नियंत्रक - महालेखा परीक्षक को प्रस्तुत किया जाएगा :

परन्तु यह कि, केन्द्रीय सरकार उन कारणों के लिए जो लेखबद्ध किए जाएं तथा भारत के नियंत्रक - महालेखा परीक्षक के परामर्श से वार्षिक लेखा विवरणियों को प्रस्तुत करने की तारीख उस अवधि तक बढ़ा सकेगी जो वह आवश्यक समझे ।

(2) भारत के नियंत्रक - महालेखा परीक्षक द्वारा या उनके द्वारा उनकी ओर से प्राधिकृत किसी व्यक्ति द्वारा वार्षिक लेखा विवरणी के अधिप्रमाणन के पश्चात् लेखा परीक्षा रिपोर्ट के साथ वार्षिक लेखा विवरणी भारत के नियंत्रक - महालेखा परीक्षक को वार्षिक लेखा विवरणी प्रस्तुत किए जाने की तारीख से तीन माह की अवधि के भीतर प्रत्येक वर्ष केन्द्रीय सरकार को अग्रेषित की जाएगी ।

(3) वार्षिक लेखा विवरणी में प्ररूप I और प्ररूप II में विनिर्दिष्ट किए अनुसार क्रमश: तुलन पत्र तथा लाभ और हानि लेखा विवरणी सम्मिलित होगी ।

4. **वार्षिक रिपोर्ट का प्रस्तुत किया जाना** .- (1) प्राधिकरण, प्रत्येक वित्त वर्ष की समाप्ति पर उस वित्त वर्ष की अपनी गतिविधियों के लेखा-जोखा के साथ अगले वित्त वर्ष में प्राधिकरण द्वारा वचनबद्ध संभावित गतिविधियों के लेखे जोखे की वार्षिक रिपोर्ट भी यथाशीघ्र तैयार करेगा और उसे 1 दिसम्बर से पूर्व केन्द्रीय सरकार को अग्रेषित किया जाएगा :

परन्तु यह भी कि, केन्द्रीय सरकार, उन कारणों के लिए जो लेखबद्ध किए जाएं, इस संबंध में प्राधिकरण के अनुरोध पर वार्षिक रिपोर्ट प्रस्तुत करने की तारीख उस अवधि तक बढ़ा सकेगी जो वह आवश्यक समझे जाए ।

(2) प्राधिकरण की वार्षिक रिपोर्ट के प्ररूप में सामग्री प्ररूप III में यथा विर्निदिष्ट होगी ।

प्ररूप-1

नियम 3 का उप नियम (3) देखें

भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण

31 मार्च की स्थिति के अनुसार तुलन पत्र

विवरण	टिप्पण संख्या	चालू वर्ष	पूर्व वर्ष
I. **साधारण पूंजी और देय**			
(1) **पूंजी**			
(क) पूंजी **(ख)** आरक्षित निधि और अधिशेष (2) **गैर चालू देय** (क) दीर्घ आवधिक ऋण (ख) आस्थगित कर देयताएं (शुद्ध)			

(ग) अन्य दीर्घ आवधिक देयताएं (घ) दीर्घ आवधिक उपबंध			
(3) **चालू देय**			
(क) अल्प कालिक ऋण			
(ख) व्यवसाय के देय			
(ग) अन्य चालू देयताएं			
(घ) अल्प कालिक उपबंध			
कुल			
II. **आस्तियां**			
(1) **गैर – चालू आस्तियां**			
(क) *स्थिर आस्तियां*			
(i) मूर्त आस्तियां			
(ii) अमूर्त आस्तियां			
(iii) कार्यशील पूंजी			
(iv) विकासशील अमूर्त आस्तियां			
(ख) गैर – चालू निवेश			
(ग) आस्थगित कर आस्तियां (शुद्ध)			
(घ) दीर्घ आवधिक ऋण और अग्रिम			
(ङ) अन्य गैर चालू आस्तियां			
(2) **चालू आस्तियां**			
(क) चालू निवेश			
(ख) माल सूचियां			
(ग) व्यवसाय की प्राप्तियां			
(घ) नकदी और नकदी स्वरूप **(ङ)** अल्प कालिक ऋण और अग्रिम			
(च) अन्य चालू आस्तियां			
कुल			

प्ररूप -II

[**नियम** 3 **का उप नियम** (3) **देखें**]

भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण

31 **मार्च**..... **को समाप्त वर्ष की लाभ हानि विवरणी**

विवरण	**टिप्पण सं.**	**चालू वर्ष**	**पूर्व वर्ष**
I. हवाईअड्डा दिक्चालन सेवाएं II. हवाईअड्डा सेवाएं			
III. गैर दिक्चालन हवाईअड्डा सेवाएं IV. कार्गो राजस्व V. हवाईअड्डा पट्टे का राजस्व VI. अन्य आय			
VII. **कुल राजस्व** (I + II + III + IV + V + VI)			

VIII. ***व्यय***:			
कर्मचारी फायदे व्यय			
प्रचालन व्यय			
प्रशासनिक और अन्य व्यय			
वित्तीय लागत			
अवक्षयण और अपाकरण व्यय			
सुरक्षा व्यय			
कुल व्यय			
IX. **आपवादिक और असाधारण मदें और कर से पूर्व लाभ** (VII-VIII)			
X. आपवादिक मदें			
XI. **असाधारण मदें और कर से पूर्व लाभ** (IX - X)			
XII. असाधारण मदें			
XIII. कर पूर्व लाभ (XI -XII)			
XIV. कर व्यय :			
(1) चालू कर			
(2) आस्थगित कर			
XV. लाभ / (हानि) की अवधि (XIII-XIV)			
तुलन पत्र में अग्रनीत शेष			

वित्त विवरणियों के टिप्पण

(1) पूंजी

क्र.सं.	**विवरण**	**चालू वर्ष**	**पूर्व वर्ष**
	1. **वर्ष के प्रारम्भ में शेष** 2. वर्ष के दौरान वृद्धियां		
	कुल		

(2) आरक्षित निधि और अधिशेष

क्र.सं.	**विवरण**	**चालू वर्ष**	**पूर्व वर्ष**
	कुल		

(3) दीर्घ ऋण

क्र.सं.	विवरण	चालू वर्ष	पूर्व वर्ष
	कुल		

(4) आस्थगित कर देय (शुद्ध)

क्र.सं.	विवरण	चालू वर्ष	पूर्व वर्ष
	कुल		

(5) अन्य दीर्घ आवधिक देय

क्र.सं.	विवरण	चालू वर्ष	पूर्व वर्ष
	कुल		

(6) दीर्घ आवधिक उपबंध

क्र.सं.	विवरण	चालू वर्ष	पूर्व वर्ष
	कुल		

(7) अल्प आवधिक ऋण

क्र.सं.	विवरण	चालू वर्ष	क्र.सं.
	कुल		

(8) व्यवसाय की देय

क्र.सं.	विवरण	चालू वर्ष	
	कुल		

(9) अन्य चालू देय

क्र.सं.	विवरण	चालू वर्ष	पूर्व वर्ष
	कुल		

(10) अल्प आवधिक उपबंध

क्र.सं.	विवरण	चालू वर्ष	पूर्व वर्ष
	कुल		

11) अचल आस्तिय

			कुल आस्तियां				**मूल्य अवक्षयन**				**शुद्ध ब्लॉक**	
क्र.सं.	**विवरण**	**अपाकरण की दर का प्रतिशत**	यथा विद्यमान	**परिवर्द्धन जिसके अंतर्गत अंतरण भी है**	**समायोजन या हटायी गई जिसके अंतर्गत अंतरण भी है**	यथा विद्यमान	**अभी तक उपलब्ध**	**वर्ष के दौरान उपलब्ध**	**बिक्री या अंतरण का समायोजन**	**अभी तक का कुल**	**चालू वर्ष में यथा विद्यमान**	**पूर्ववर्ती वर्ष में यथा विद्यमान**
I.	**मूर्त आस्तियां**											
	उप कुल (क)											
II.	**अमूर्त आस्तियां**											
	उप कुल (ख)											
III.	**चल रहे पूंजीगत कार्य**											
	उप कुल (ग)											
IV.	**विकासशील अमूर्त आस्तियां**											
	उप कुल (घ)											

	पूर्ण कुल [क + ख+ ग + घ] (चालू वर्ष)											
	(पूर्ववर्ती वर्ष)											

(12) गैर चालू निवेश

क्र. सं.	**विवरण**	**चालू वर्ष**	**पूर्व वर्ष**
	कुल		

(13) आस्थगित कर आस्तियां (निवल)

क्र. सं.	**विवरण**	**चालू वर्ष**	**पूर्व वर्ष**
	कुल		

(14) दीर्घ आवधिक ऋण और अग्रिम

क्र. सं.	**विवरण**	**चालू वर्ष**	**पूर्व वर्ष**
	कुल		

(15) **अन्य और चालू आस्तियां**

क्र. सं.	**विवरण**	**चालू वर्ष**	**पूर्व वर्ष**
	कुल		

(16) वर्तमान निवेश

क्र.सं.	**विवरण**	**चालू वर्ष**	**पूर्व वर्ष**
	कुल		

(17) **वस्तु सूची**

क्र. सं.	विवरण	चालू वर्ष	पूर्व वर्ष
	कुल		

(18) **व्यापार प्राप्तियां**

क्र. सं.	विवरण	चालू वर्ष	पूर्व वर्ष
	कुल		

(19) रोकड़ और रोकड़ के समतुल्य

क्र. सं.	विवरण	चालू वर्ष	पूर्व वर्ष
	कुल		

(20) अल्पकालीन ऋण और अग्रिम

क्र. सं.	विवरण	चालू वर्ष	पूर्व वर्ष
	कुल		

(21) अन्य चालू आस्तियां

क्र. सं.	विवरण	चालू वर्ष	पूर्व वर्ष
	कुल		

(22) हवाईअड्□ा दिक्चालन सेवाएं

क्र. सं.	विवरण	चालू वर्ष	पूर्व वर्ष
	कुल		

(23) हवाईअड्□ा सेवाएं

क्र. सं.	विवरण	चालू वर्ष	पूर्व वर्ष
	कुल		

(24) गैर वैमानिक हवाईअड्□ा सेवाएं

क्र. सं.	विवरण	चालू वर्ष	पूर्व वर्ष
	कुल		

(25) कार्गो राजस्व

क्र. सं.	विवरण	चालू वर्ष	पूर्व वर्ष
	कुल		

(26) हवाई अड्□ा पट्टा राजस्व

क्र. सं.	विवरण	चालू वर्ष	पूर्व वर्ष
	कुल		

(27) अन्य आय

क्र. सं.	विवरण	चालू वर्ष	पूर्व वर्ष
	कुल		

(28) कर्मचारी फायदे वयय

क्र. सं.	विवरण	चालू वर्ष	पूर्व वर्ष
	कुल		

(29) प्रचालन का व्यय

क्र. सं.	विवरण	चालू वर्ष	पूर्व वर्ष
	कुल		

(30) प्रशासनिक और अन्य व्यय

क्र. सं.	विवरण	चालू वर्ष	पूर्व वर्ष
	कुल		

(31) वित्त लागत

क्र. सं.	विवरण	चालू वर्ष	पूर्व वर्ष
	कुल		

(32) अवक्षयण और अपाकरण व्यय

क्र. सं.	विवरण	चालू वर्ष	पिछले वर्ष
	कुल		

(33) सुरक्षा व्यय

क्र. सं.	विवरण	चालू वर्ष	पिछले वर्ष
	कुल		

प्ररूप-III

[नियम 4 का उपनियम (2) देखें]

(1) वर्ष के दौरान वित्तीय परिणामों का सार ।

(2) पूंजीगत संरचना, दीर्घकालिक ऋणों और अन्य महत्वपूर्ण मदों में परिवर्तन ।

(3) वर्ष के दौरान प्राधिकरण की लाभ प्राप्ति की संभावना पर असर या उसको प्रभावित करने वाली नीति और प्रमुख घटनाओं में महत्वपूर्ण परिवर्तन ।

(4) प्राधिकरण के कार्यों और लाभ प्राप्ति की संभावना में अभिवृद्धि के लिए किए गए उपाय ।

(5) लक्ष्यों के संदर्भ में स्वीकृति योजनाओं के निष्पादन में प्रगति ।

(6) नयी परियोजनाओं या योजनाओं का विस्तार उसके लाभों, वित्तीय विवक्षाओं और उसके निष्पादन के कार्यक्रम ।

(7) वित्त वर्ष के दौरान लेखा गतिविधियां और ऐसी गतिविधियों का विवरण जिनको अगले वित्तीय वर्ष के दौरान किए जाने की संभावना है ।

(8) महत्वपूर्ण दशायें और घटनाएं ।

(9) प्राधिकरण के अध्यक्ष और सदस्यों में परिवर्तन।

(10) कर्मचारी-नियोक्ता संबंध, हड़ताल आदि।

(11) कल्याणकारी गतिविधियां, आवासीय कालोनी, शिक्षा, स्वास्थ्य सुविधाएं आदि ।

(12) सांख्यिकी या ग्राफ ।

(13) राजस्व और पूंजीगत मदों के लिए पृथक रूप से विदेशी विनिमय से आय और व्यय ।

[सं. एवी 24015/3/2013-एएआई]

आलोक सिन्हा, संयुक्त सचिव

MINISTRY OF CIVIL AVIATION

NOTIFICATION

New Delhi, the 27th March, 2014

S.O. 981 (E).—In exercise of the powers conferred by clause (g) and clause (h) of sub-section (2) of section 41 of the Airports Authority of India Act, 1994 (55 of 1994) and in supersession of the Airports Authority of India (Annual Report and Annual Statement of Accounts) Rules, 2008, except as respects things done or omitted to be done before such supersession, the Central Government, after consultation with the Comptroller and Auditor General of India, hereby makes the following rules, namely:—

1. Short title and commencement. - (1) These rules may be called the Airports Authority of India (Annual Report and Annual Statement of Accounts) Rules, 2014.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. Definitions.-In these rules, unless the context otherwise requires,-

(i) "Act" means the Airports Authority of India Act, 1994;

(ii) "Annual Report" means the report referred to in section 29 of the Act;

(iii) "Annual Statement of Accounts" means the annual statement of accounts referred to in section 28 of the Act;

(iv) "Authority" means the Airports Authority of India constituted under section 3 of the Act;

(v) "Form" means a Form annexed to these rules;

(vi) words and expressions used herein and not defined but defined in the Act have the same meaning , respectively , as assigned to them in the Act.

3. Preparation and submission of Annual Statement of Accounts.- (1) The Authority shall prepare its Annual Statement of Accounts including the statement of profit and loss account and balance sheet showing the financial results as specified in Form I and Form II, respectively ,by 30th June each year and submit the same, duly authenticated by the authorised signatory and duly passed by the Authority, to the Comptroller and Auditor General of India, not later than the 31st July of every year:

Provided that the Central Government may, for reasons to be recorded in writing and in consultation with the Comptroller and Auditor General of India, extend the date of submission of the Annual Statement of Accounts by such period as it may consider necessary.

(2) After certification of the Annual Statement of Accounts by the Comptroller and Auditor General of India or any other person authorised by him in this behalf, the Annual Statement of Accounts together with the audit report thereon shall be forwarded annually to the Central Government within a period of three months from the date of submission of the Annual Statement of Accounts to the Comptroller and Auditor General of India.

(3) The Annual Statement of Accounts shall include a balance sheet and statement of profit and loss account as specified in Form I and Form II, respectively.

4. Submission of Annual Report.- (1) The Authority shall prepare the Annual Report as soon as may be after the end of each financial year giving an account of its activities during that financial year and also giving an account of the activities which are likely to be undertaken by the Authority during the next financial year and forward it to the Central Government before 1st December:

Provided that the Central Government may, for reasons to be recorded in writing, extend the date of submission of Annual Report by such period, as it may consider necessary on a request from the Authority in this behalf.

(2) The form of Annual Report of the Authority shall contain the matters specified in Form III.

FORM-I
[See sub rule 3 of rule (3)]

AIRPORTS AUTHORITY OF INDIA

Balance Sheet as at 31st March.

Particulars	Note No.	Current Year	Previous Year
I. EQUITY AND LIABILITIES			
(1) Capital			
(a) Capital			
(b) Reserves and surplus			
(2) Non-Current Liabilities			
(a) Long-term borrowings			
(b) Deferred tax liabilities (Net)			
(c) Other Long term liabilities			
(d) Long term provisions			
(3) Current Liabilities			
(a) Short-term borrowings			
(b) Trade payables			

(c) Other current liabilities			
(d) Short-term provisions			
Total			
II. Assets			
(1) Non-current assets			
(a) Fixed assets			
(i) Tangible assets			
(ii) Intangible assets			
(iii) Capital work-in-progress			
(iv) Intangible assets under development			
(b) Non-current investments			
(c) Deferred tax assets (Net)			
(d) Long term loans and advances			
(e) Other non-current assets			
(2) Current assets			
(a) Current investments			
(b) Inventories			
(c) Trade receivables			
(d) Cash and cash equivalents			
(e) Short-term loans and advances			
(f) Other current assets			
Total			

FORM-II
[See sub rule (3) of 3]
AIRPORTS AUTHORITY OF INDIA

Statement of Profit and Loss for the year ended 31st March……..

Particulars	Note No.	Current Year	Previous Year
I. Airport Navigational Services			
II. Airport Services			
III. Non-Aeronautical Airport Services			
IV. Cargo Revenue			
V. Airport Lease Revenue			
VI. Other Income			
VII.Total Revenue (I+II+III+IV+V+VI)			
VIII. Expenses:			
Employee benefit expenses			
Operating expenses			
Administrative and other expenses			
Financial costs			
Depreciation and amortisation expense			
Security expenses			
Total Expenses			

IX. Profit before exceptional and extraordinary items and tax (VII-VIII) X. Exceptional Items XI. Profit before extraordinary items and tax (IX - X) XII. Extraordinary Items			
XIII. Profit before tax (XI -XII)			
XIV. Tax expense : (1) Current tax (2) Deferred tax			
XV. Profit/(Loss) for the period (XIII-XIV)			
Balance carried to Balance Sheet			

Notes to the Financial Statements

(1) Capital

Sl. No.	Particulars	Current year	Previous year
	1. Balance at the beginning of the year 2. Addition during the year		
	Total		

(2) Reserve and Surplus

Sl. No.	Particulars	Current year	Previous year
	Total		

(3) Long Term Borrowings

Sl. No.	Particulars	Current year	Previous year
	Total		

(4) Deferred Tax Liabilities (Net)

Sl. No.	Particulars	Current year	Previous year
	Total		

(5) Other Long Term Liabilities

Sl. No.	Particulars	Current year	Previous year
	Total		

(5) Long Term Provisions

Sl. No.	Particulars	Current year	Previous year
	Total		

(7) Short Term Borrowings

Sl. No.	Particulars	Current year	Previous year
	Total		

(8) Trades Payables

Sl. No.			
	Total		

(9) Other Current Liabilities

Sl. No.	Particulars	Current year	Previous year
	Total		

(10) Short Term Provisions

Sl. No.	Particulars	Current year	Previous year
	Total		

(11) Fixed Assets

			Gross Block				Depreciation				Net Block	
Sl. No.	Particulars	Depreciation rate %	As on	Addition including transfers	Adjustment/ Deletion including transfers	As on	Provided up to	Provided during the year	Adjustment of Sale/ Transfer	Total up to	As on Current year	As on Previous year
I.	Tangible Assets											
	SUB- TOTAL (A)											
II.	Intangible Assets											
	SUB -TOTAL (B)											
III.	Capital Work-in-progress											
	SUB -TOTAL (C)											
IV.	Intangible Assets Under Development											
	SUB -TOTAL (D)											
	Grand Total [A + B + C + D] (Current Year)											
	(Previous Year)											

(12) Non-Current Investment

Sl. No.	Particulars	Current year	Previous year
	Total		

(13) Deferred Tax Assets (Net)

Sl. No.	Particulars	Current year	Previous year
	Total		

(14) Long Term Loans and Advances

Sl. No.	Particulars	Current year	Previous year
	Total		

(15) Other Non-Current Assets

Sl. No.	Particulars	Current year	Previous year
	Total		

(16) Current Investments

Sl. No.	Particulars	Current year	Previous year
	Total		

(17) Inventories

Sl. No.	Particulars	Current year	Previous year
	Total		

(18) Trade Receivables

Sl. No.	Particulars	Current year	Previous year
	Total		

(19) Cash & Cash Equivalents

Sl. No.	Particulars	Current year	Previous year
	Total		

(20) Short Terms Loans and Advances

Sl. No.	Particulars	Current year	Previous year
	Total		

(21) Other Current Assets

Sl. No.	Particulars	Current year	Previous year
	Total		

(22) Airport Navigational Services

Sl. No.	Particulars	Current year	Previous year
	Total		

(23) Airport Services

Sl. No.	Particulars	Current year	Previous year
	Total		

(24) Non-Aeronautical Airport Services

Sl. No.	Particulars	Current year	Previous year
	Total		

(25) Cargo Revenue

Sl. No.	Particulars	Current year	Previous year
	Total		

(26) Airport Lease Revenue

Sl. No.	Particulars	Current year	Previous year
	Total		

(27) Other Income

Sl. No.	Particulars	Current year	Previous year
	Total		

(28) Employee Benefits Expenses

Sl. No.	Particulars	Current year	Previous year
	Total		

(29) Operating Expenses

Sl. No.	Particulars	Current year	Previous year
	Total		

(30) Administrative and other Expenses

Sl. No.	Particulars	Current year	Previous year
	Total		

(31) Finance Costs

Sl. No.	Particulars	Current year	Previous year
	Total		

(32) Depreciation and Amortisation Expense

Sl. No.	Particulars	Current year	Previous year
	Total		

(33) Security Expenses

Sl. No.	Particulars	Current year	Previous year
	Total		

FORM –III

[See sub-rule (2) of rule 4]

(1) A summary of the financial results during the year.

(2) Changes in the capital structure, long-term loans and other significant items.

(3) Important changes in policy and major events, which influenced or affected the profitability of the Authority during the year.

(4) Measures taken for improving the functions and profitability of the Authority.

(5) Progress in execution of the sanctioned schemes with reference to targets.

(6) New projects or expansion schemes contemplated together with their advantages, financial implications and programmes for execution.

(7) An account of the activities during the financial year and of the activities, which are likely to be taken up during the next financial year.

(8) Significant events or happenings.

(9) Changes in the Chairman and Members of the Authority.

(10) Employee-employer relations, strikes, etc.

(11) Welfare activities, housing colonies, education, health facilities, etc.

(12) Statistics or Graphs.

(13) Foreign exchange earnings and expenditure for revenue and capital items separately.

[No. AV. 24015/3/2013 –AAI]

ALOK SINHA, Jt. Secy.

Printed by the Manager, Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.